

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

कलेक्टर

मुकाम

बनाम

सांवल्या

बसवा

33

सन 2024

जज अदालत







सुमित्रा

रूम मुकदमा

दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा



APP
Chl

हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p><u>22.03.2024</u></p> <p>प्रश्नगत दावा वादी श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नी मोहन सिंह गुर्जर निवासी सुधारनापाडा तहसील बांदीकुई वगैरह जरिये एड. श्री नवीन गुर्जर विरुद्ध प्रतिवादीगण सांवल्या पुत्र किशोर जाति माली निवासी झंझर की ढाणी नंदेरा तहसील बसवा वगैरह के तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है। हमने प्रस्तुत दावे का अवलोकन किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर, प्रतिवादीगण को नोटिस जरिये रजिस्टर्ड ए.डी.जारी होकर पत्रावली दिनांक 02.05.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बसवा (बीसा) </p> <p>28¹/₂₄ पञ्जावली वादीगण द्वारा पञ्जावली तहसील के तहसीलदार से शब्द लेने हेतु प्रस्तुत प्रा. पत्र के क्रम में पेश हुई प्राथमिक/वादीगण द्वारा। प्रा. पत्र इस आशय का पेश किया कि परकारान के पत्र शब्दनामा हो गया है। हुकम प्रकरण में आगामी कार्यवाही नहीं माइते है। प्रकरण को लॉज किया जावे।</p> <p>प्राथमिक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र स्विकार किया जाकर, प्रमाण वारिज किया जाकर, दारिज दफ्तार किया जाता है। पञ्जावली के फल ग्राम होकर दारिज दफ्तार होकर, नम्बर ले कर हो</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी बसवा (बीसा) </p>	<p>28¹/₂₄</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बसवा (बीसा) </p> <p style="text-align: right;">  सुमित्रा </p> <p style="text-align: right;">  02.05.24 </p> <div style="text-align: right;">  </div>